न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 65/2024

जी.सी.एम.एस. संख्याः— 2024/97

अपीलार्थीपक्षः—

1. पप्पुराम पुत्र श्री भैराराम जाति लखारा निवासी— सेखाला तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2014 जो न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 737/2014 में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बावरला, श्री रमेश भादू (अपीलार्थी पक्ष)।

आदेश **दिनांक :— 23.12.2024**

अपीलार्थी ने यह राजस्व अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 737/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2014 विरूद्व पेश की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये व मूल अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से जरिये मूल पत्रांक—राजस्व/2024/220 दिनांक 31.05.2024 मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस दिनांक 10.12.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 23.12.2024 को रखी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 698 रकबा 0.08 बीघा भूमि पर अपीलांट का पीढ़ी से कब्जा है जिसमें अपीलांट का बहुत ही पुराना घर व पानी का टांका बना हुआ है। अपीलांट अपने परिवार सहित निवास करता है। इस कारण अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

न्यायोचित नहीं है। अगर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट व अपीलांट का परिवार बेघर होकर रोड़ पर आ जायेंगे। अपीलांट अनुसूचित जाति का बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि के अलावा अपीलांट के पास रहने हेतु अन्य कोई भूमि नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का नियमन अपीलांट के नाम किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। अतः न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2014 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का नियमन अपीलांट के नाम किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलांट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने के पश्चात अपीलांट दिनांक 18.08.2014 को उपस्थित हुआ तब अपीलांट के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर आगामी पेशी पर उपस्थित होने बाबत नोटिस दिया जाकर सूचित करने हेतु कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकार का नोटिस व सूचना प्राप्त नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.08.2014 के पश्चात उपस्थित होकर मुकदमे का जानकारी चाही तो कथन किया कि आपके उपस्थिति की आवश्यकता होने पर सूचित कर दिया जायेगा। हाल ही में दिनांक 03.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुकदमा की जानकारी चाहने पर अभिलेख देखकर बताया गया कि कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है तब दिनांक 06.06.2022 को अपने अधिवक्ता रविन्द्र सिंह से अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 06.06.2022 को होने पर दिनांक 09.09.2022 को नकल प्राप्त होते ही अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों एवं कथनों का अध्ययन कर उन पर गंभीरता से गहन मनन किया किया तथा प्रकरण से संबंधित विधिक प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन किया।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सेखाला तहसील सेखाला की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने यह प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर ग्राम सेखाला के खसरा नं. 698 किस्म बारानी तृतीय पर 1.02 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि पर झूपा बनाकर [illegible] अतिक्रमण को हटाने हेतु दिनांक 29.06.2014 को नोटिस [illegible] दिनांक 18.[illegible].2014 तक अतिक्रमण हटाने तथा उपस्थित होकर अपना [illegible] संसूचित किया। दिनांक 18.08.2014 की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उपस्थित बताया है तथा तहसीलदार ने आगे फैसले में गैर सायल को अनुपस्थित बताया है तथा एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.06.2014 में अगली सुनवाई तिथि 18.08.2014 नियत की है तथा पत्रावली भी 18.08.2014 को पेश हुई है जिसमें अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। दिनांक 29.06.2014 को जो नोटिस जारी हुआ है उसमें सुनवाई की तिथि में ओवर राईटिंग कर उसे 08.08.2014 किया है तथा यह भी फॉटो कॉपी है जिसकी पुश्त पर मूल हस्त लिखावट से अपीलांट को घर पर हाजिर नहीं बताकर देवीलाल के समक्ष आबाद मकान पर नोटिस की प्रति चस्पा की गई है, जिसकी फोटो कॉपी ही पत्रावली पर मौजूद है, जिसकी गहनता से जॉच करने से रोशन होता है कि पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 29.05.2014 की फोटो कॉपी करवाकर पूर्व तिथियों में कांट छांट कर दिनांक 29.06.2014 को नोटिस जारी कर दिया है। यह प्रकिया कतई सही व विधि सम्मत नहीं है तथा न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने की श्रेणी में आता है।

तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2014 में भी विरोधाभाषी कथन अंकित है। अपीलांट को उपस्थित भी बताया जा रहा है तथा अनुपस्थित भी बताया जा रहा है। साथ ही आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर भी है। हालांकि अपीलांट ने अपील के कथनों में दिनांक 18.08.2014 को न्यायालय में उपस्थित होना बताया है तथा रीडर द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है, परन्तु पीठासीन अधिकारी का अनुपस्थित होने का कथन किया है तथा दिनांक 09.06.2022 को निर्णय दिनांक 18.08.2014 की जानकारी होने का कथन पर अपील पेश करने में हुई देरी का कन्डोन करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत सशपथ प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली पर उपलबध अभिलेख व प्रकरण के तथ्यों की रोशनी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त खामियों के बावजूद प्रकरण का निर्णय गुणावगुण करना न्यायोचित होने से इस प्रकार निर्णित किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट का 8 बिस्वा भूमि पर पुराना कब्जा है वह भूमिहीन है, अतः सरकारी परिपत्रों/आदेशानुसार नियमन करने की सिफारिश की जावे तथा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार [illegible] का खसरा नं 698 किस्म बी–III, राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर बिना किसी अधिकार, हित व स्वत्व के गैर कानूनी रूप से अपीलांट ने झूंपा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट के पक्ष में में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विधि सम्मत पट्टा, लीज या सनद जारी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की गई है तथा न ही अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। जहां तक अतिक्रमित भूमि का अपीलांट के पक्ष में नियमन करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया है, जिससे उसका पुराना कब्जा राज्य सरकार की नीति के अनुसार साबित हो। इस सम्बन्ध में अपीलांट अपने स्तर से सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया है।

उपर्युक्त तथ्यात्मक व कानूनी प्रावधानों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलांट ने गैर कानूनी तरीके से बिना किसी अधिकार के सरकारी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली व शास्ति आरोपित करने योग्य है। तहसीलदार के समक्ष सुनवाई में प्रकरण में रही तकनीकी कमियों से अपीलांट के सुनवाई के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इस न्यायालय में अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया परन्तु अपीलांट अतिक्रमित भूमि पर अपना कब्जा विधिक होने का साावित करने में असफल रहा है।

उपर्युक्त विश्लेषण के फलस्वरूप तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 737 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2014 में यह न्यायालय किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं पाता है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2014 यथावत रखा जाता है तथा उसकी पुष्टि की जाती है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार बालेसर से प्रकरण से संबंधित प्राप्त मूल रिकार्ड की पत्रावली पुनः लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:08:49 IST
Reason: SelfAttested

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर